

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD  
(A Govt. of India Undertaking)  
Plot No.24, Phase-9 Industrial Area  
Regional Office: Mohali- Chandigarh  
0172-2214388/2215388

---

No.1 (10) Admn/NSC/CH/19-20

Dated: 22-04-19

**SHORT TENDER NOTICE**

Sealed tender are invited from reputed Labour contractors for the year 2019-20 towards attending Seed Processing work at our Processing Plants Jalandhar/Bhatinda. The tender documents along with separate terms and conditions are obtainable from above office and offices located at Jalandhar/Bhatinda on payment of Rs. 590/-per set. Tender documents can also be downloaded from NSCs website [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com). In such cases the tenderer has to deposit D.D. of Rs. 590/- along with the filled in tender form payable NSC Chandigarh. Labour Contractors must possess their Labour Contractor License, ESI, EPF Code Nos.etc. Sealed tender duly filled in will be received at NSC Chandigarh up to 1.00 P.M. on 29-4-2019 which will be opened at 3 P.M. on same date in the presence of tenderers or their authorized representative, if any. The undersigned reserves the right to reject/accept any tender without assigning any reasons.

**Regional Manager**

**बीज प्रक्रिया संयंत्रों का श्रमिक ठेकेदारों की नियुक्ति के लिये  
शर्तें एवं विस्तृत विवरण वर्ष 2019-20**

- 1 श्रमिक ठेकेदार का अपना श्रमिक कार्य लाईसेंस, ई0 एस0 आई/ ई पी एफ कोड न0/पैन कार्ड होना आवश्यक है जिसका पूर्ण विवरण संलग्न करना होगा 1
- 2 निविदादाता को निविदा के साथ रू:30,000/-.(तीस हजार रुपये )का डिमांड ड्राफ्ट निगम के नाम नेशनल सीड्स कारपोरेशन चन्डीगढ़ को संलग्न करना होगा 1 धरोहर राशि पर निगम द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा 1 सफल निविदादाता को कार्य करने से पहले रुपये :50000/. (रुपये पचास हजार जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ) तथा रू: 100/- के नान ज्यूडिशियल स्टॉप पेपर पर एक अनुबंध करना होगा
- 3 खरीफ /रबी जायद संसाधन के दौरान ठेकेदार को बीज संसाधन केन्द्र/गोदामों में प्रति सप्ताह स्प्रे तथा समय समय पर संसाधन केन्द्र/ मशीनो , गोदामों तथा डस्ट कलस्टर से एकत्रित धूल/कचरा की सफाई करनी होगी । प्लान्ट इन्चार्ज / प्रक्षेत्र प्रबन्धक सत्यापन के बाद ही ठेकेदार के बिलों का भुगतान होगा ।
- 4 ठेकेदार को भुगतान बीज की अन्तिम रूप से पैक की गई मात्रा पर ही किया जायेगा न कि अप्रक्रियावृत बीज ( Raw Seed ) मात्रा पर ।
- 5 ऐंसी स्थिति में जहां ठेकेदार को अप्रत्यक्ष व पैकिंग के लिये भुगतान किया जायेगा उस स्थिति में उसे दो बार से भुगतान देय होगा अर्थात भुगतान उस मात्रा पर देय होगा जो संसाधन के बाद 50 कि0ग्रा0 पैकिंग में प्राप्त होगी ओर दूसरा भुगतान अन्तिम रूप से पैक की गई मात्रा पर देय होगा 1
- 6 ठेकेदार को वह सभी अभिलेख (Record) रखने होंगे जो फैक्टरी एक्ट 1948 मजदूर अधिनियम के अर्न्तगत आवश्यक हैं । इस प्रकार के अभिलेख न रखने पर यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी न कि निगम की । ठेकेदार द्वारा लगाई गई लेबर का पूर्ण विवरण नाम, पत्ता,पिता का नाम, आयु इत्यादि अपने हाजरी रजिस्टर में रखना होगा तथा लगाई गई लेबर की रोज़ हाजरी निगम के अधिकारी/प्लान्ट इंचार्ज से चैक कराना होगा ।
- 7 निगम के कार्य में लगाये गये मज़दूरों के वेतन से ई एस आई/ भविष्य निधि अंशदान की वसूली करना एवं इस राशि की अन्य अंशदान/ करों को नियमानुसार ई/ एस आई/ भविष्य निधि में जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । । ऐंसा ना करने पर निगम कर्मचारी व नियोक्ता दोनों की ई एस आई/ भविष्य निधि अंशदान की कटौती ठेकेदार के बिलों के भुगतान से

कर ली जायेगी। सामुहिक बीमा योजना के अधीन अग्रिम राशि का भुगतान प्रति लेबर प्रति वर्ष प्रशासनिक शुल्क का भुगतान ठेकेदार को नियमानुसार करना होगा ।

8. समय समय पर आवश्यकतानुसार व निगम के निर्देशनुसार ठेकेदार को बीज के बोरो/ सामान के चटटे लगवाने होंगे । बोरो की गिनती करना, बंडल लगाना/बनाना एवं अन्य पैकिंग युक्त सामान को सुव्यवस्थित करना तथा चटटा लगाना आदि सभी कार्य ठेकेदार को करने होंगे ।
- 9 आयकर समय समय पर जो भी लागू होगा उसका भुगतान करने का दायित्व ठेकेदार का होगा ।
- 10 बीज प्रक्रिया प्रभारी/प्रक्षेत्र प्रबन्धक द्वारा बिलों की पूर्ण जांच, आयकर , ई0 एस0आई भविष्य निधि इत्यादि की वसूली सुनिश्चित होने/करने के बाद बिलों का भुगतान आर0टी0जी0एस के माध्यम से क्षे0 का0 द्वारा किया जायेगा ।
- 11 धूप से बीजों को उनके न्यूनतम आर्हता स्तर तक सुखने की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी ।
- 12 बीजों की प्रत्यक्ष पैकिंग के लिये ठेकेदार को अप्रक्रियाकृत (Raw Seed) बीजों की मशीन तक पहुचाने से ले कर बीजों की अन्तिम पैकिंग 2 किलोग्राम से 40 किलो ग्राम की पैकिंग करना , बीजापूचार करना अथवा फफुंद नाशक का पैकेट बना कर बीज के थैलों में रखना, टैग लेबलों व थैलों पर सभी वांछनीय जानकारी लिखना , टैग लेबल लगा कर सिलाई करना, सील लगाकर व प्लायर से दबाना, प्रत्येक कृषक का फसल किस्तावार/अन्डरसाईज बीज का एकद्व करना, बोरो में डाल कर तुलाई करना, बोरो पर लाट क्रमांक वजन इत्यादि लिखना व सिलाई करना दोनो अन्डरसाईज व प्रक्रियाकृत बीजों को कृषकवार लाट वार स्टैक लगाना तथ बीज से खाली हुए सभी बोरो को साफ कर 50-50 के बन्डल बना कर निर्देशित स्थान पर रखना इत्यादि । मंद संख्या 4 एवं 5 की बीज प्रक्रिया की दरों से अप्रक्रियाकृत बीज (Raw seed) को मशीनो पर पहुचाने स्टैक लगाने, छानन (undersize) बीज को मशीनों से उठाकर प्रक्रिया संयंत्र के बाहर निगम के परिसर में लगाने अथवा किराये पर लिये गये प्रक्रिया संयंत्र से 100 फुट पर लगाने की दरें सम्मिलित हैं । इस कार्य का अलग से कोई पैसा नहीं दिया जायेगा ।
- 13 अप्रत्यक्ष वाले सभी कार्य जैसा क्रमांक 12 में दर्शाया गया है ठेकेदार को फ्री में करने होंगे ।

14. ठेकेदार की प्रक्रिया संयंत्र पर प्रक्रिया प्रभारी /प्रक्षेत्र प्रबंधक के निर्देशानुसार प्रक्रिया कार्य के लिये प्रयाप्त श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। कार्य के लिये प्राप्त श्रमिकों की पूर्ति करने में असफल होने की दशा में निगम का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह प्रचलित दरों पर जो समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं श्रमिकों को लगातार कार्य कराए एवं लगाये गये मजदूरों की मजदूरी व सर्विस चार्ज /ठेकेदार के बिलों/जमानत राशि से काट ली जायेगी। संतोषजनक कार्य ना होने पर चेतावनी देकर ठेका निरस्त भी किया जा सकता है साथ में धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
15. जब निगम की प्रक्रिया संयंत्र के अलावा बीज को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में जो एक ही नगरपालिका में स्थित है पहुंचाना है तो बीजों/सामान को लोड करवाने परिवहन करने, उतरवाने, स्टैक लगाने हेतु पर्याप्त संख्या में ट्रकों व श्रमिकों की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। बीज सामान परिवहन के दौरान यदि बीज अथवा सामान खराब हो जाता है या टूट जाता है तो इसके लिये ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा एवं निगम द्वारा तय की गई सामान की कीमत की वसूली ठेकेदार के बिलों /जमानत राशि से काट ली जाएगी अगर राशि अधिक हो तो इसका भुगतान ठेकेदार को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा निगम को करना होगा।
16. प्रक्रिया प्रभारी / प्रक्षेत्र प्रबन्धक के निर्देशानुसार ठेकेदार को पर्याप्त संख्या में बीज/सामान परिवहन के लिये ट्रकों व श्रमिकों की पूर्ति करनी होगी। ऐसा ना करने पर व असफल होने पर आवश्यकतानुसार निगम ट्रकों व श्रमिकों की व्यवस्था कर लेगी एवं इस कार्य में हुये खर्च की वसूली ठेकेदार के बिलों /जमानत राशि से कर ली जायेगी।
17. ठेकेदार को यह निश्चित करना होगा कि गोदाम से बीज उठाते समय कटा फटा क्षतिग्रस्त बोरा ना उठाया जाये और ना ही ट्रक में लोड किया जाये।
18. ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये गए श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान प्रतिमाह समय समय पर करना अनिवार्य है अन्यथा ठेकेदार के बिल से श्रमिकों की मजदूरी की राशि काट कर दी जायेगी ताकि किसी प्रकार के श्रमिक वाद विवाद से बचा जा सके।
19. किसी भी प्रकार की आपत्ति विवाद अनुबन्ध की कार्यनवित होने के संबध में अथवा उसके समाधान की स्थिति में उत्पन्न होता है तो यह सोल आरबीट्रेटर को सौंपा जायेगा जो कि निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उच्चतम अधिकारी स्वयं भी सोल आरबीट्रेटर का कार्य करने में सक्षम होगा। इस अनुबंध के अर्न्तगत ठेकेदार को कोई एतराज़ नहीं होगा कि अध्यक्ष या आरबीट्रेटर जैसा कि ऊपर नियुक्त किया गया हे यह व्यक्ति है जिसने मामले को डील किया है अपने विचार प्रकट किये है या अपनी विचार भिन्नता व्यक्त की है। दोनो पक्ष इस बात पर राजी है कि यदि आरबीट्रेटर / अध्यक्ष किन्ही कारणो से पद त्याग देता है या आरबीट्रेटर के रूप में कार्य करने से मना कर देता है।

- 20 उपरोक्त दी गई शर्तें श्रमिक ठेकेदार को अनिवार्य रूप से मान्य होगी संबंध उन्ही से नियमित होगा 1
- 21 मोहरबन्द निविदाएं नेशनल सीडस कारपोरेशन में ई एम डी रुपये :30,000/- का बैंक ड्राफ्ट जो नेशनल सीडस कारपोरेशन लि0 चन्डीगढ़ को देय हो प्राप्त की जायेगी । निविदाएं दिनांक 29.04. 2019 को क्षेत्रीय कार्यालय में मोहाली में 3.00 बजे खोली जांएगी ।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर (रुपये)
1	नगरपालिका परिसर के अन्दर से बीज विधायन संयंत्र तक बीज/सामान का लोडिंग परिवहन एवं अनलोडिंग । (लेकिन 100 फुट से ज्यादा की दूरी पर लागू होगा गोदाम के अन्दर)	
2	एक ही परिसर में स्थित विभिन्न गोदामों में बीज /सामान को शिफ्ट करना । क्र० सं० 3 व 4 पर लागू नहीं ।	
3	बीजों के मशीन द्वारा सीधे ग्रेडिंग तथा पैकिंग करना रा सीड की बोरियों को मशीन में ग्रेडिंग के लिये डालना 40 किलो साईज में पैक करना टैग,सील स्टैक लगाना	
4	बीजों को मशीन द्वारा सीधे (Direct)ग्रेडिंग तथा पैकिंग करना इत्यादि । रा सीड को बोरियों की मशीन में ग्रेडिंग के लिये डालना 50/35 किलो साईज में पैक करके (Bulk packing) वाछित स्थान पर स्टैक लगाना ।	
5	अप्रत्यक्ष (Indirect) बल्क पैकिंग/ग्रेडिंग बीज से वाछित साईज की थैलियों में बीज उपचारित/अनुपचारित कर थैलियों में भरना, टैग,सील,स्टैक लगाना, खाली बोरी के 50-50 बंडल बना कर रखना इत्यादि	
क	बीज की 0-3 किलो तक थैलिया मिनीकिट बनाना और आवश्यकतानुसार बोरियों में भरना ।	
ख	बीज की 3 से उपर तथा 12 किलों तक थैलिया बनाना और थैलियों को आवश्यकतानुसार बोरियों में भरना ।	
ग	बीज की 12 से उपर तथा 40 किलो तक थैलिया बनाना ओर थैलियों को अवश्यकतानुसार भरना !	
6	बीज/सामान को ट्रक/ट्राली आदि में लोड करना	
7	बीज /सामान को ट्रक/ट्राली आदि में अनलोड करना	
8	खरीफ सीजन में उत्पादित बीजों को धूप में उचित नमी तक सुखाई करना (बीजों को गोदाम में सुखाने के स्थान तक लाना, ले जाना आदि शामिल है )	
9	बीजों को पुनः वैद्यीकरण करना बीजों को लाट बाईज करना, वैद्यीकरण की मोहर लगाना तथा पुनः स्टैक लगाना इत्यादि ।	

क	0 से 3किलो वजन की थैलिया	
ख	3 किलो से उपर तथा 12 तक किलो वजन की थैलिया	
ग	12 किलो से उपर तथा 40 किलो तक वजन की थैलिया	
10	बीजों को पुनः वैद्यीकरण (Revalidation) के अर्न्तगत नई थैलियां बनाना भरना,टैग लेबल,सिलाई,सील लगाना तथा थैलियों को बोरियों में भरना और पुनः स्टैक लगाना	
क	3किलो वजन की थैलिया	
ख	3किलो से उपर तथा 12 किलो तक वजन की थैलिया	
ग	12 किलो से उपर तथा 40 किलो तक वजन की थैलिया	
11	बीज लाट की स्टैक की तुड़ाई करना,लाट वाईज़ बीजों की छटांड़ करना एवं उसी गोदाम में स्टैक लगाना (segrigation)	
12	खाली बोरियां/खाली कटऑ/बारदाना की छंटाई गिनती 50.50. के बन्डल बनाना तथा स्टैक लगाना इत्यादि (दर प्रति बन्डल )	
12	समय समय पर गोदामों में बीजों का Fumigation करवाना, दवाई डालना, कवर को बीज पर डालना, मिटी कवर पर लगाना इत्यादि, Fumigation के बाद कवर को उठाना तथा मिटी इत्यादि साफ करना 1	